न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री दौलत राम चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रार्थना—पत्र संख्या :— 07/2020

प्रार्थीगणः—	बनाम	अप्रार्थीः—
1. रामकिशन उर्फ किशनलाल पुत्र बादरराम		1. सरकार जरिये तहसीलदार (भूमि—धारक) सोजत, तहसील सोजत, जिला—पाली।
2. चिमुडी पुत्र बादरराम पत्नी मोहनलाल		
3. बादरराम पुत्र छैलाराम तमाम जाति घांची		
4. सत्यनारायण पुत्र रामलाल		
5. पारीदेवी पत्नी रामलाल तमाम जाति माली		

राजस्व प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः—

1. श्री रमेश टांक अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. अप्रार्थी तहसीलदार सोजत उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक — 18.08.2020

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने एक विविध प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सोजत चक 1 तहसील सोजत जिला पाली (राजस्थान) मे वर्तमान खसरा नम्बर 2726 रकबा 0.2900 हैक्टर, 2727 रकबा 0.4900 हैक्टर, 2746 रकबा 0.2400 हैक्टर, 2753 रकबा 0.3400 हैक्टर, 2754 रकबा 0.4400 हैक्टर, 2755 रकबा 0.6200 हैक्टर कुल किता खसरा 6 कुल क्षेत्रफल 2.4200 हैक्टर है। प्रार्थीगण ने उक्त कृषि भुमि जरिए रजिस्टरर्ड बैचान हीरालाल, मन्शाराम, शंकरलाल, चुन्नीलाल, भग्गाराम, तुलसीराम पिसरान जस्साराम जाति श्री गौड ब्राहम्ण निवासीगण सोजतसिटी से दिनांक 09/11/1981 को खरीद की तथा उक्त कृषि भुमि का कब्जा भी प्राप्त किया। खोतदार मुलकी पत्नी बादरराम की मृत्यु हो चुकी है, जिससे मुलकी के कायम मुकाम वारिसान प्रार्थी संख्या 1 से 3 है। व प्रार्थी संख्या 4 व 5 का 1/2 हिस्सा है। बैचान रजिस्ट्री के पूर्व सैटलमेंट की कार्यवाही चल रही थी, दौराने सेटलमेंट खसरा संख्या 2746 का रकबा सेटलमेंट द्वारा सेवन से गलत दर्ज कर दिया। सेटलमेंट से पूर्व खसरा संख्या 2746 के पुराना खसरा नम्बर 166/07 रकबा पौने तीन बीघा तीन बीसवा खातेदारी में दर्ज था, जमाबन्दी सम्वत् 2018 से 2021 की प्रमाणित प्रति साथ पेश की है। खसरा संख्या 166/7 रकबा पौने तीन वीघा तीन बीसवा के नये खसरा नम्बर 2746 बने है। मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति भी साथ प्रस्तुत हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त कृषि भुमि क्रय करते समय पूर्व खातेदारान द्वारा खसरा नम्बर 2746 के रकबा के सम्बन्ध में यह कहा कि सेटलमेंट में उक्त खसरे का रकबा कम दर्ज कर दिया है, जबकि मौके पर पुराने रकबे अनुसार ही उक्त खसरा का क्षेत्रफल हैं। इस सम्बन्ध में पूर्व खातेदारान द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय विलेख में हवाला दर्ज किया हैं। मौके पर उक्त खसरा संख्या 2746 का रकबा पुर्व संख्या 166/7 रकबा पौने तीन बीघा तीन बीसवा अनुसार ही विध्यमान है जिस पर प्रार्थी संख्या 1 से 3 है। व प्रार्थी संख्या 4 व 5 का 1/2 हिस्सा है, प्रार्थीगण अपने हिस्से अनुसार उक्त कृषि भुमि पर काविज काश्त है। पुराने खसरा संख्या

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

166/7 रकबा पौने तीन बीघा तीन बीसवा अनुसार वर्तमान खसरा संख्या 2746 का रकबा 0.4800 हैक्टर होना चाहिए तथा मौके पर भी खसरा नम्बर 2746 का रकबा 0.4800 हैक्टर होना चाहिए तथा मौके पर भी खसरा 2746 का रकबा 0.4800 हैक्टर है। किन्तु सेवन से सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा खसरा नम्बर 2746 का रकबा 0.2400 हैक्टर ही दर्ज कर दिया है जो गलती दुरूस्ती योग्य है। प्रार्थीगण अपने खातेदारी में वर्णित हिस्सा अलग करवाना चाहते है। किन्तु रेकर्ड में खसरा संख्या 2746 का रकबा गलत अंकित होने की वजह से अलग नहीं करवा सकते । जिसे प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड के किसी अन्य सह खातेदारान पर किसी प्रकार का कोई विपरित प्रभाव नही पड़ेगा और न ही किसी के खातेदारी अधिकार पर प्रभाव पडेगा।

इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने उक्त आशय का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात प्रस्तुत कर सरहद मौजा सोजत चक 1 के खसरा नम्बर 2746 रकबा 0.2400 हैक्टर के राजस्व रेकर्ड में जो वक्त सेटलमेंट सेवन से गलत दर्ज कर दिया गया उसे शुद्धि किया जाकर रेकर्ड दुरूस्ती किये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत को जरिए नोटिसेज वास्ते जवाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सोजत ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर वर्णित तथ्यों को कानूनी दर्शाते हुये प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वयं सिद्ध किए जाने के तथ्य अंकित किये है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा0 पत्र में वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2746 रकबा 0.2400 हैक्टर गलत दर्ज को प्रस्तुत मिलान खसरा तथा अन्य दस्तावेजात के अनुसार रकबा 0.4800 हैक्टर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त रूप से दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है। जिस पर उपस्थित तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) सोजत ने व्यक्त किया कि रकबे से संबंद्ध दुरूस्ती धारा 136 एल आर एक्ट 1956 के तहत चूकि सदभाविक त्रुटि मात्र ही नही होने से पोषणीय नही है बल्कि घोषणा के तहत दावा करके ही ईश्तदुआ ही प्राप्त की जा सकती है, प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज किए जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ–पत्र, जबाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी तहसीलदार सोजत, दस्तावेजात तथा साक्ष्य सबूतों के दस्तावेजात अनुसार उक्त विवादित भूमि से सम्बद्ध प्रा0 पत्र में वर्णित उक्त तथ्यों तथा दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस उभय पक्षों पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रस्तुत प्रा0 पत्र धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाना तथा चूँकि किसी खातेदारी भूमि में रकबे में ऐसी दुरूस्ती धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के प्रावधानों में पोषणीय नही है, प्रस्तुत दस्तावेजात के भी प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की सम्पुष्टि नही होती है। लिहाजा अधिवक्ता प्रार्थी के खातेदारी घोषणा का वाद पेश करने का अधिकारी सुरक्षित रखते हुये प्रार्थना पत्र धारा 136 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित समझते है।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

—:आदेश:—

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत घोषणीन नही होने से प्रार्थीत विवादग्रस्त भूमि से सम्बद्ध खातेदारी अधिकारो की घोषणा का वाद पेश करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुये खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। वाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज

निर्णय आज दिनांक 18.08.2020 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner